न्यायालय कलक्टर (आर्बीट्रेटर)नेशनल हाईवे अजमेर

प्रकरण संख्या 98/2015

1. श्रीमती कोशल्या देवी पत्नि श्री पूरणमल गुप्ता, निवासी मकान नम्बर ए/6, अग्रसेन नगर, मदनगंज –किशनगढ, तहसील किशनगढ, जिला–अजमेर
2. श्री औमप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री फतेहचन्द अग्रवाल, निवासी मकान नम्बर ए/6, अग्रसेन नगर, मदनगंज –किशनगढ, तहसील किशनगढ, जिला–अजमेर
3. श्री कपिल अग्रवाल पुत्र श्री कुन्दनमल अग्रवाल, निवासी शास्त्रीनगर, अजमेर।
4. श्री जयकुमार गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वरलाल गुप्ता, हाल निवासी जे0वी0एल0आर0,ऑबेरॉय कॉम्पलेक्स मुबंई (महाराष्ट्र) .....प्रार्थी

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर अजमेर।
2. जल भूतल परिवहन सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सडक स्कन्ध नई दिल्ली
3. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जरिये सचिव, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली. भारतसंघ, जरिये जल भूजल, भूतल परिवहन मंत्रालय सडक परिवर्तन मार्ग, सडक स्कन्ध नई दिल्ली। .....अप्रार्थीगण
5. श्रीमती हंसादेवी गर्ग पत्नि श्री सुरेश कुमार गर्ग जाति अग्रवाल निवासी 10/57, आरोग्य भवन, सिविल लाईन, अजमेर तहसील व जिला–अजमेर ....प्रफोर्मा अप्रार्थिया

आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री निर्मलकुमार नौरतमल जैन अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी0

आदेश

दिनांक – 11.07.2019

दावा :– ग्राम गेगल तहसील अजमेर में स्थित आराजी खसरा नं0 883 रकबा 6–17–10 बीघा में से अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा रकबा 0.1520 हेक्टयर के अवाप्ति बाबत अवार्ड आदेश दिनांक 3.9.2013 पारित किया गया। अवाप्त भूमि में अजमेर(पश्चिम)की ओर की 1/2 भूमि प्रार्थीगण की तथा शेष 1/2 हिस्सा किशनगढ (पूर्व) की तरफ की रिक्त भूमि प्रोफार्मा अप्रार्थी संख्या 05 की थी। अवाप्त भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 05 को भुगतान किया गया। जबकि प्रार्थीगण की पश्चिमी ओर की भूमि पर निर्माण किया हुआ था। निर्मित क्षैत्रफल एक कमरा 10 फुट ऊंचा, एक कमरा 7 फुट ऊंचा, शेड 8 फीट ऊंचा, सीसी प्लेटफार्म, ट्रान्सफार्मर प्लेटफार्म, चार दिवारी आदि की सार्वजनिक निर्माण

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

विभाग के द्वारा निर्धारित वेल्युवेशन अनुसार देय मुआवजा राशि 5,33,077/– रूपये का भुगतान प्रार्थीगण को नहीं किया गया। प्रार्थीगण द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी को उक्तानुसार मुआवजा राशि भुगतान किये जाने बाबत दिनांक 16.6.2014, 17.7.2014 एवं 12.2.2015 को आवेदन पत्र भी प्रेषित किये गये, परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्तानुसार निर्माण का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया। प्रार्थीगण दिनांक 03.09.2013 से ब्याज सहित उक्त निर्मित क्षेत्रफल का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्मित क्षेत्रफल का देय मुआवजा राशि 5,33,077/– मय ब्याज प्रार्थीगण को दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी0जरिये अभिभाषक उपस्थित आये भूमि अवाप्ति अधिकारी से प्रार्थना पत्र बाबत् टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थी0 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि :–

प्रतिरक्षण :– अवाप्त भूमि खसरा नं0 883 रकबा 0.1520 हैक्टर बारानी–2 भूमि का देय मुआवजा राशि 5,39,839/– रूपये राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्रार्थीगण को भुगतान किया जा चुका है। अधिग्रहित भूमि पर निर्मित क्षेत्र, बोरिंग एवं अन्डर ग्राउन्ड टैंक का मुआवजा वेल्यूवेशन रिपोर्ट LHS (76) and rates as per PWD Standibg Order X-3 2006 के अनुसार भुगतान किया जा चुका है। प्रार्थीगण द्वारा X-3/2011 BSR 2011 के अनुसार मुआवजे की मांग की गई है जो कतई न्यायोचित नहीं है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बेबुनियाद, मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त योग्य है। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा किया गया मुआवजा का आंकलन विधि अनुरूप होने से इसमें हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं अप्रार्थी द्वारा प्रतिरक्षण में प्रस्तुत जवाब कथनों के आधार पर मुख्यतः वाद बिन्दू तय किये गये।

वाद बिन्दू :– आया प्रार्थीगण ग्राम गेगल तहसील अजमेर के खसरा नं0 883 में से अवाप्त 0.1520 हैक्ट0 भूमि के उनके पश्चिमी तरफ के हिस्से पर निर्मित क्षैत्र का 5.33 लाख का मुआवजा मय ब्याज प्राप्त करने के आधिकारी है ?

उभय पक्ष (वादी/प्रतिवादी) द्वारा अपने दावे/प्रतिरक्षण में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा वाद बिन्दू को तय किये जाने का प्रयास किया गया।

आपसी सहमति :– माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा माध्यस्थम् कार्यवाही के तहत कायम वाद बिन्दू पर आपसी सहमति बनाये जाने के प्रयास के तहत उभय पक्ष को आमने सामने बिठाकर सुलह का प्रयास करवाया गया। उभय पक्ष में इस दौरान किसी भी बिन्दू पर सहमति नहीं बन पाई।

उपस्थित उभय पक्ष (वादी/प्रतिवादी) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को प्रकरण में गुणावगुण पर विनिश्चय करने के लिए सहमति प्रकट करते हुए आदेश पारित करने के आग्रह पर उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वाद बिन्दूवार निर्णय निम्न प्रकार पारित किया जाता है।

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

आया प्रार्थीगण ग्राम गेगल तहसील अजमेर के खसरा नं0 883 में से अवाप्त 0.1520 हैक्ट0 भूमि के उनके पश्चिमी तरफ के हिस्से पर निर्मित क्षैत्र का 5.33 लाख का मुआवजा मय ब्याज प्राप्त करने के आधिकारी है ?

इस बिन्दू बाबत प्रार्थीगण का मुख्य कथन है कि ग्राम गेगल तहसील अजमेर में स्थित अवाप्त शुदा आराजी खसरा नं0 883 रकबा 0.1520 हैक्टयर में प्रार्थीगण के पश्चिमी हिस्से पर एक कमरा 10 फुट ऊंचा, एक कमरा 7 फुट ऊंचा, शेड 8 फीट ऊंचा, सीसी प्लेटफार्म, ट्रान्सफार्मर प्लेटफार्म, बोरिंग, अन्डरग्राउन्ड टैंक चार दिवारी आदि निर्मित था। इस निर्मित क्षेत्रफल की सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा निर्धारित वेल्युवेशन अनुसार देय मुआवजा राशि 5,33,077/– रूपये के भुगतान हेतु प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के समक्ष तीन बार आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये। इसके बावजूद निर्मित क्षेत्रफल का भुगतान नहीं किया गया। प्रार्थीगण उक्तानुसार निर्मित क्षेत्रफल का मुआवजा राशि मय ब्याज प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुंत किया गया। जवाब में अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि अधिग्रहित भूमि एवं उस पर निर्मित क्षेत्र, बोरिंग, अन्डरग्राउन्ड टेंक इत्यादि का पुनः सर्वे करवाकर प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर एलएचएस 75 तथा एलएचएस 76 की क्रमशः अन्तर राशि रूपये 1,00,000/– एवं राशि 76076/– कुल 1,76,076/– मुआवजा नियमानुसार संशोधित/निर्धारण कर भुगतान किया जा चुका है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर भूमि एवं निर्मित क्षेत्रफल का विधिवत रूप से मुआवजे का आंकलन किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा एन.एच. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पारित अवार्ड दिनांक 03.09.2013 के 19 माह पश्चात नियमानुसार मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र बिना प्रस्तुत परिवाद बाबत कोई संतोषजनक कारण भी स्पष्ट नहीं है। अतः यह बिन्दु विरूद्ध प्रार्थी तय किया जाता है।

इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तिम विनिश्चय हेतु उपरोक्त बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध तय किया गया है। उपरोक्त विवेचन से अवार्ड के 19 माह पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुति बाबत प्रार्थी, ठोस आधार के अपना दावा सिद्ध कराने में असफल रहे है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य ठहराया जाता है। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956, प्रर्याप्त प्रमाणित ठोस आधार नही होने से खारिज किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति), अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.9.2013 यथावत रखा जाता है। आदेश प्रति प्राधिकृत अधिकारी(भूमि अवाप्ति),एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर तथा सक्षम अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे को हस्ब कायदा प्रेषित हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
नेशनल हाईवे, अजमेर

Scanned by CamScanner